Universities including Central Universities with effect from 1st January, 1973:

Teachers :

	Rs.
Lecturer	700—40—1100—50—1600
Reader	1200—50—1300—60—1900
Professor	1500—60—1800—100—2000—125/2—2500
Library Staff :	
Librarian	(i) 1500—60—1800—100—2000—125/2—2500
	(ii) 1500—60—1800—100—2000
Dy. Librarian	1100—50—1600
Asstt. Librarian	700—40—1100—50—1300
Documentation Officer	(i) 1100—50—1600
	(ii) 700—40—1100—50—1300
Director/Instructor of Physical Education	(i) 1100—50—1600
	(ii) 700—40—1100—50—1300
	(iii) 700—40—1100
	(iv) 550—25—750—EB—30—900
	(v) 425—15—500—EB—15—560—20—700

While communicating these revised scales for acceptance, the State Government were given an option to modify them after taking local conditions into consideration, and also to implement them with effect from a date later than 1st January, 1973.

The Central Government has no proposal under consideration to prescribe uniform scales of pay for other categories of employees in all the Universities in the country.

Trade Union Rights to Employees of Universities

3095. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to extend trade union rights to the employees of the Universities in accordance with the recommendations of the National Labour Commission; and

(b) if so, when?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The National Commission on Labour and not recommended any amendment to the Trade Union Law as far as trade union rights of University employees are concerned.

(b) Does not arise.

समाज के आर्थिक दृष्टी से पिछड़े वर्गों का रिहायशी भूमि का आवंटन

3096. श्री मही लाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (एक) ग्राम सभा की भूमि में से (दो) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि में से (तीन) अधिगृहीत भूमि में से, कितने परिवारों को केन्द्रीय सरकार की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को रिहायशी भमि देने की नीति के अन्तर्गत भूमि दी गई है और प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि दी गई है ;

(ख) क्या जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील के अनेक गांवों में प्रत्येक भूमिहीन किसान को वन विभाग की भूमि में से या कालोनी बसाने की योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि में से केवल 20X25 फुट क्षेत्रफल का प्लाट देकर बसाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भूमिहीन किसानों के लिए इतनी कम भूमि पर्याप्त है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 12,12,014 पात्र परिवारों को आवास स्थल अलाट कर दिए हैं।

पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के परिवार को एक एकक माना गया है और जिन के पास 100 वर्जगज से कम भूमि प्रति एकक थी उन्हें 100—150 वर्गगज भूमि के आवंटन के लिए पात्र समझा गया। आवास स्थलों के आवंटन हेतु उपयोग की गई भूमि में गांव सभा सरकारी भूमि, जोतों पर अधिकतम सीमा लागू करने के परिणाम-स्वरूप फालतू घोषित भूमि और अर्जित भूमि शामिल है । जून, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1976 के अन्त तक 11,88,134 परिवारों को आवास स्थलों के आवंटन के लिए गांव सभा की 15,082.90 — हेक्टेयर भूमि तथा 567.30 हेक्टेयर अर्जित भूमि का उपयोग किया गया था।

शेष 23,880 परिवारों को आवंटित भूमि का ब्यौरा भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) . उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है और ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नगर निगम के शिक्षकों के वेतनमान

3097. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम, दिल्ली का शिक्षा विभाग उन्हीं वेतनमानों को लागू करता है जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा मंजूर किये जाते हैं;

(ख) क्या शिक्षकों के वेतनमान जिनकी तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी लागू कर दिये गये हैं परन्तु 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूलों के निरीक्षकों, वरिष्ठ निरीक्षकों, सहायक शिक्षा अधिकारियों तथा उप शिक्षा अधिकारियों के वेतनमान 27 मई, 1970 तथा 1 जनवरी, 1973 से पूर्णतया लागू नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?